

[Shri H. N. Mukerjee]

ment (Posts and Telegraphs) relating to Expansion of Srinagar Telephone Exchange.

12.2 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

REPORTS AND MINUTES

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I beg to lay on the Table the following Reports and Minutes of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—

- (1) Report of the Committee on its visit to the Headquarters Office of the Punjab National Bank, Parliament Street, New Delhi in September, 1975.
- (2) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Bhopal, Jabalpur, Varanasi, Lucknow and Hardwar in December, 1975.
- (3) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Bombay, Aurangabad and Manipal in December, 1975.
- (4) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Badli and Singhu villages of the Union Territory of Delhi and Industrial Training Institute, Pusa, New Delhi in February, 1976.
- (5) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Chandpur and Chatesar villages of the Union Territory of Delhi and Industrial Training Institute, Curzon Road and Arab-kis-Sarai in February, 1976.
- (6) Report of the Committee on its visit to certain DDA Colonies and a Girls' Hostel in the

Union Territory of Delhi, the March, 1976.

- (7) Minutes of the First to Forty-third, Forty-ninth, Forty-fourth and Fifty-fifth sittings of the Committee.

12.03 hrs.

BETWA RIVER BOARD BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): I beg to move\*

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

As the Hon'ble Members are, perhaps aware the River Betwa is a major tributary of the Yamuna flowing through the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Betwa Canal system together with Parichha weir was constructed in 1885 the Dhukwan dam constructed in 1909, the Matatila dam constructed in 1958 and these together with a few other small schemes utilise less than 1/3rd of the total water resources of the Betwa.

The Bundelkhand region of Uttar Pradesh and the districts of Guna, Shivpuri and Datia of Madhya Pradesh bordering the Bundelkhand region, are drought-stricken areas. The existing storages provide meagre irrigation facilities to these areas and are unable to supply water to large pockets in this region.

The Rajghat site on the Betwa on the Border of U.P. and M.P., provides

\*Moved with the recommendation of the President

excellent conditions for a large storage to meet the irrigation demands of these needy areas. The question of sharing of the waters of the Betwa in the interest of the people of the region received considerable attention during the course of the last three years by the two State Governments and it was in August, 1972 that an agreement was reached between the Chief Ministers of the two States to construct a storage dam at Rajghat with live capacity of 62 TMC (Thousand million cubic ft.). After allowing for 9 TMC for the committed use downstream, the balance waters will be shared equally by the two States. The total quantity available at Rajghat is 115 TMC. It was agreed that 53 TMC will be utilised by M.P. upstream of Rajghat and the balance quantity of 62 TMC will be available at Rajghat for being shared between M.P. and U.P. as indicated above.

The Rajghat Dam will be a joint venture of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh Governments, and the estimated cost of the dam is Rs. 72.56 crores.

The Rajghat Dam will have a maximum height of 28 metres in the earthen portion which will be about 10 KM long and 43 metres high in the masonry portion which will be 550 metres long. The reservoir will involve submergence of 214 sq. KM comprising 111 sq KM in 26 villages in U.P. with a population of over 10,600 and 103 sq. KM in 22 villages in M.P. with a population of over 8000.

The share of U.P. in the Rajghat waters will be utilised in extending irrigation under the Betwa Canal system and that of M.P. will be used in extending irrigation under the existing Bhandar Canal system and in providing irrigation to the areas downstream of the dam. This scheme will, on the whole, provide annual irrigation to an area of about 3 lakh hectares.

The Rajghat project will usher in a new era in the history of this backward region and be a model of an inter-State understanding leading to optimum utilisation of the available

water resources of an inter-State river for the mutual benefits of the vast population of this region.

The construction of the dam was inaugurated by the Prime Minister in April, 1973. Subsequently M.P. had some reservations concerning the project features. A supplemental agreement was entered into between M.P. and U.P. on 9th December 1973. In this agreement, the two Chief Ministers agreed to the setting up of a Central Control Board under the chairmanship of the Union Minister of Irrigation and Power for the speedy, smooth and efficient execution of various inter-State projects of U.P. and M.P. including the Rajghat project. They also agreed that the construction of the Rajghat Dam should be entrusted to a project authority to be appointed by the Control Board.

A peculiar feature of the Rajghat dam is that the dam site is located partly in U.P. and partly in M.P. In order therefore that the work of masonry dam and earthen dam proceeds according to a pre-determined schedule and that the project work does not get a setback in implementation, the work of the entire dam, including rehabilitation, has to be carried out by one agency. No agreement could be reached on any one State implementing the project because both the States wanted their officers and staff to be associated with the implementation of the work. Ultimately, the States agreed to entrust the execution of the project to an independent High Power Board which would utilise in equal measure the services of both the States and agreed to finance the project in proportion to the benefits accruing to them. This High Power Board would be presided over by the Union Minister in charge of irrigation. Such a Board could not be constituted by an executive order because of the special conditions obtaining in the location of the Rajghat dam. Several alternatives were considered in consultation with the Law Ministry and also in consultation with the State Governments. Although water is a State subject—

[Shri Kedar Nath Singh]

vide Entry 17 of the State List—Parliament is competent to provide for legislation and development of inter-State rivers to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest (vide entry 56 of the Union List). Besides, under Entry 44 of the Union List, the Parliament is competent in respect of incorporation, regulation and winding up of Corporations with objectives not confined to one State. Both the States are, therefore, anxious that the execution of the project should be entrusted to an independent High Power Board. It is, therefore, proposed to undertake a fresh legislation under Entry 56 of List I in respect of Rajghat Project.

Detailed consideration of the legal implications in consultation with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs preceded the preparation of a draft Bill to provide for a Board to undertake the construction of the Rajghat Dam. The finalisation of the draft Bill, however, took time because of differences on various technical and engineering aspects as well as in regard to the scope of the functions of the Board. It was possible to persuade the Chief Ministers of the two States in August, 1975 to resolve their differences.

Hon. Members will see from the provisions of the Bill that the Board will be a Tripartite Board presided over by the Union Minister of Agriculture and Irrigation and include the Chief Ministers of M.P. and U.P. as well as the Ministers of the two States in charge of Finance and Irrigation. The main functions and powers of the Board shall be to carry out surveys and investigations, prepare detailed project reports, land estimates, allocation of cost amongst the Governments of M.P. and U.P. drawing of specifications, construction of the Rajghat Dam, laying down rules of operation and perform any other related functions.

The cost of the Rajghat Dam shall be shared between the two State Governments. The Central Government may have to bear only a nominal cost of DA and TA of the Members of the Betwa River Board and the Executive Committee.

There will be an Executive Committee to assist the Board. The Chairman of the Executive Committee would be a Central Government Officer and the Committee's composition would be left to be prescribed by rules framed under the Act. The intention, however, is that till the completion of the project, the Secretary of Additional Secretary in the Ministry of Agriculture and Irrigation would preside over the Committee and the Committee will include Chairman, CWC, Joint Secretary in the Department of Expenditure of Finance Ministry, the Secretary incharge of Finance and Irrigation Departments of the two States besides their senior engineers. A smaller Committee may, however, be constituted after the project works are completed to look after operation and maintenance works. The Chief Engineer, the Financial Adviser and the Secretary of the Board will be appointed by the Central Government after consulting the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. As far as possible, it will be ensured that officers from the same state do not hold the posts of Chief Engineer and Secretary at the same time. I would like to draw attention in particular to clause 18 which provides that if any dispute arises between the Board and the Government of Madhya Pradesh or Uttar Pradesh or both regarding any matter covered by this Act or touching or arising out of it, it shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final and binding on the Board and the said Governments.

The Central Government is also empowered to make rules for carrying out the purposes of the Act and approve of the regulations framed by the Board to regulate its business. A Betwa River Board Fund is also provided in clause 13 which would be built up out

of funds provided by the two State Governments. I would like to end my remarks with an expression of my deep sense of appreciation of the spirit of cooperation displayed by the two State Governments. The proposed Rajghat Dam would provide water to an area where it would prove to be a boon to the people and contribute to development of irrigation and eventually bring about prosperity to the region. I am sure, the hon. Members will join me in wishing the two States all the success in bringing to fruition the objectives behind the proposed project.

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (रेसिडेंट)  
अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करना है क्योंकि जब दो राज्यों आपस में मिल कर समस्याओं को सुलझाने में हैं और उन के बारे में एग्रीमेंट हो जाना है तो यह खुशी की बात है कि और स्वागत योग्य है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नए जो मिचर्स मिली आए हैं उन के नेतृत्व में यह सारा काम हुआ है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस समस्या को सुलझाने के लिए एक मत हो गये हैं और राजघाट डैम पर नदी की पानी के बंटवारे की योजना लागू हो जाएगी, वैसे ही और बहुत सारे राज्य हैं जिन के बीच में नदियों के पानी के बंटवारे के झगड़े पड़े हुए हैं और इस तरह से राज्यों के बीच में पानी का विवाद बना हुआ है जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में है, बिहार

और मध्य प्रदेश के बीच में है और बिहार और पश्चिमी बंगाल के बीच में है। ऐसे झगड़ों को सुलझाने के सिलसिले में आप को और से कदम उठाए जाने चाहिए और आपस में झगड़ों को सुलझा कर समस्याओं को सुलझाए। इन झगड़ों के न निगटने के कारण बहुत सारी योजनाएँ खटाई में पड़ी हुई हैं जैसा कि दामोदर वैली का सवाल है। दामोदर वैली के सवाल को लेकर आज बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मत भेद हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन मतभेदों को दूर कर, दामोदर वैली के पानी और बिजली का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए जिस में दोनों प्रदेशों को फायदा पहुँच सके।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जन सम्प्रदाय को आपकी कोई नीति नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि पानी को आप को राष्ट्रीय सम्पदा स्वीकार देना चाहिए। राज्यों के विवादों पर हम हमें इस बात की बराबर मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय मंत्री मंडल का इस के बारे में मोचना चाहिए लेकिन अभी तक उस न हम के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है और पानी को राष्ट्रीय सम्पदा नहीं घोषित किया है लेकिन अभी जायज सम्मान हुई है यह अच्छी गुरतारी है और स्वागत योग्य है और दूसरा जो राज्यों के बीच में झगड़े हैं उन को भी सुलझाया जाना चाहिए।

इसी के साथ साथ मैं यह चाहता हूँ कि नेशनल संस्था के साथ भी समझौता करना चाहिए और वहाँ पर डैम बनाना चाहिए या कोई और दूसरी स्कीम लागू करनी चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की रक्षा हो सके। आप न जो बोर्ड बनाया है उस का मताना करने के लिए दोनों राज्यों को गठन प्रतिनिधित्व दिया है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि नेपाल

### [श्री कला मिश्र मधुकर]

सरकार के साथ भी कोई समझौता करने कोई स्कीम लागू करनी चाहिये जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार का कल्याण हो सके। आज तो उत्तर प्रदेश और बिहार हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं और उसमें बचने के लिए अभी तक कोई भी स्कीम लागू नहीं की गई है। हर साल करोड़ों नष्ट औरों काय का खर्च सरकार का होता है लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो बोर्ड बनाया गया है यह एक मही बात है लेकिन इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डैम बनाने के बाद विस्थापितों की समस्या पैदा हो जाएगी और उस समस्या को हल करने के लिए इन बिज में कोई योजना नहीं है। इन बिज में विस्थापितों को बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कुछ होना चाहिए था लेकिन वह नहीं है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जो जवाब देने समय इस बारे में बोलें।

इसके बाद ही तब मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह इन लोगों का अनायास है कि इन राज्यों में जहां पर ऐसी समस्याएं लागू हुई है, वहां पर मजदूरों की समस्याओं की तरफ पड़ो रहते हैं। गंडक योजना के अन्तर्गत मजदूरों और बड़े बड़े और लोगों के बीच राई होने रहते हैं और अब प्रा. ने बर्बर पार्लियामेंट इन मैनेजमेंट का विज्ञान प्रस्तुत कर लिया है जो क्या दर्ज या कि जो बोर्ड आया था रहे है या जो एक्जीक्यूटिव कांटेडी होगी उसमें कई-बारियों को प्रतिनिधित्व न दें तब के जगह वे लोग मजदूर करने कि यह जो डैम बन रहा है और यह जो स्कीम बन रही है, यह देश के लिए है और

उसमें वे भी हाथ बंटा रहे हैं। इस तरह से एक प्रांतीयता की भावना पैदा होती और अच्छा काम करने की भावना पैदा होती। इन लिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब इस तरह की कोई योजना लागू होगी है तो उसमें समस्याएं उभर कर आती हैं और सलिए उन को हममें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ। कि आपको जल के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिए और इसके बारे में विचार-यहां रुद्ध में होता चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रा. पूरी जल नीति का अभाव है और इस नीति का अभाव इसलिए है कि जहां पर पूंजीवाद व्यवस्था होगी है वहां पर अनमान डेवलपमेंट होता है। हमारे देश में भी पूंजीवादी व्यवस्था रही है और अनमान डेवलपमेंट राज्यों का हुआ है। कुछ प्रदेश आगे बढ़ गए हैं और कुछ पिछड़ गए हैं। जब हम एक समाजवादी व्यवस्था देश में लाना चाहते हैं तो एक राष्ट्रीय नीति तय की जानी चाहिए और सारी जल सम्पदा को पूरे राष्ट्र की सम्पदा मानना चाहिए और उसमें राज्यों के विचार भी आने चाहिए।

मैं इस बिल का भरोसा करता हूँ और पूंजीगत समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि अन्य राज्यों के जल विवादों को भी जल्दी निपटाना चाहिए। बिहार और मध्य प्रदेश में सोन नदी के पानी के बंटवारे का प्रश्न है। कुछ सहायक नदी निकलना लेकिन पूरा धुलामला बन नहीं हुआ है। मैं कोई रेरेक्लिज्म के दृष्टिकोण से मैं यह नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूँ कि इन बात पर ध्यान दिया जाए और राज्यों के जो आपसी

संगठित हैं, उनको समाप्त किया जाए। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ मजदूरों की समस्या है, विस्थापितों को बसाने की समस्या है, और दूसरे सुविधाएँ देने की समस्या है, उनके बारे में सरकार सोचे और जल नीति के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, उसके बारे में यहाँ सदन में श्रवणासन वे और दूसरे राज्यों के जो जल विवाद पड़े हुए हैं, उन को मुलुखाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, उनके बारे में भी मंत्री जी जहाँ सदन में बताएँ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**डा० गोबिन्द बास रिक्कारिया (वामी)**

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। साथ साथ भारत सरकार को बढ़ाई देना हूँ और साथ सिंचाई विभाग के अधिनियमों को बढ़ाई देना हूँ कि उन्होंने इस बिल को यहाँ लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। निश्चित तौर से आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ा पुनः और महत्वपूर्ण दिन है। बहुत पहले भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था और उसकी पूर्ति की और एक और कदम आज उसने बढ़ाया है बहुत दूर। मैं चर्चा कर रही थी कि नदियों के विवाद चलते रहते हैं, पानी बहता जाता है और उसके कारण में भूमि सूखी जाती है उन पानी का कोई लाभ नहीं उठाया जाता है। लेकिन आज उसकी और एक कदम बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने— १) प्रदेशों के विवाद को तय करने के लिए एक बोर्ड का गठन करने सम्मन्धी बिल यहाँ पेश किया है। इसके लिए दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री और खास तौर पर हमारे

प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी की सराहना की जानी चाहिये जिन्होंने पूरी छुप में उस वाद को खत्म कर दिया और गजब ट स्वन पर पहुँचे और इन योजना का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी द्वारा कराया। यह वह योजना फलफूल रही है और एक महत्वपूर्ण कदम उपभोक्ता उठाया जा रहा है।

मैं यह याद दिलाता चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने ८ वर्ष के अपने अभिभाषण में खास तौर से इन बातों का जिक्र किया था कि नदियों के विवाद तय करना एक महत्वपूर्ण काम है। उस और इन नियमों पेश करके भारत सरकार ने तथा उनके सिंचाई मंत्रालय ने एक कदम बढ़ाया है।

यह योजना उस क्षेत्र के लिए, वहाँ की जनता के लिए बहुत महत्व रखती है। वहाँ जमीन बहुत है लेकिन आबादी कम है। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से जो उत्पादन में वृद्धि होगी उस से खाद्यान्न की जो समस्या है उसको हल करने में योग मिलेगा।

मैं आपको यह भी याद दिलाता चाहता हूँ कि यह वह क्षेत्र है जहाँ 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांति सगठित की गई है और महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में उस क्षेत्र ने अग्रणी बन कर उस में भाग लिया था। वहाँ जो निवासी हैं, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लिए यह योजना सुखदायी होगी, उनको आराम देगी, उस में कोई शक नहीं है।

कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। कुछ ऐसी-कई बातें इस बिल में हैं जिनकी वजह से

### [डा० गंविन्द दास रिछारिया]

हो सकता है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में बिलम्ब हो जाए। उनकी सरकार द्वारा ध्यान जाना चाहिये। पहले ध्यान में आने यह कहा है :

“यह उर तारोड को प्रवृत्त होगा जितने के शीघ्र सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से परामर्श करके, राज तब में अधिपूवना द्वारा निरत करे।”

मेरा निवेदन है कि यह बिल पास हो जाने के बाद गजेट में जल्दी प्रकाशित हो। ऐसा न हो कि इस प्रकाशन में देर लगे और उसकी वजह से यह काम रुका पड़ा रहे।

आगे आपने कहा है कि एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी और उसको जो उरना है वह भी गजेट में प्रकाशित की जाएगी। वे जो टैक्नीकल बातें हैं इनकी सरकार विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि यह महत्वपूर्ण योजना टैक्नीकल बातों में फंम कर बिलम्ब में कार्यान्वित हो।

निधि जो आप मुकरं करेगे उस के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है कि उस निधि में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से पैसा आप को लेना है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बजट लक्षण विधान सभाओं में पेश हो चुके हैं और पाम होने वाले हैं। चूँकि आपने इस बिल का पाम कराने में देर की है इस वास्ते हो सकता है कि उन सरकारों ने अपने बजट में पैसा न रखा हो। मेरा निवेदन है कि जो पैसा मिचार्ड मन्त्रालय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देने वाला है उस में से उतना ही राया काट कर अपने बजट में राशि दा रोड की जो कार्यकारिणी हो उनको हारादि कर दे ताकि कही

ऐसा न हो कि इस बिल के पास होने के बाद भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें कहें कि आपका बिल देर से पास हुआ है, हम अपने बजटों में पैसा नहीं रख पाए हैं, और इस कारण से काम आगे न बढ़ सके।

राजघाट के मुख्य इंजीनियर तथा अन्य इंजीनियरों की जो नियुक्ति करनी है, उस मामले में भी आप विशेष सतर्कता बरतें, उस काम में भी आप देरी न होने दें। आप देखें कि इस काम में किसी प्रकार का बिलम्ब न हो।

इस बिल के आखिर में यह टिप्पणी दी गई है कि दोनों मुख्य मंत्रियों का एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। 1972 में वह एग्रीमेंट होने के बाद मंत्री महोदय का आज 30 मार्च, 1976 को यह बिल लोक सभा में पेश कर सके हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहना है कि वह इस विषय में मनक रहे कि इस बिल के पास होने के बाद कहीं दन टेक्नीकल बाओं के कारण और बिलम्ब न हो जाय और इस महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र कार्यान्वित न किया जा सके। 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग इस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को बढ़ाना है। जिस योजना के संबंध में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं दिलचस्पी ली थी और दोनों मुख्य मंत्रियों के सामने उस का शिलान्यास किया था, मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि उस में आगे और बिलम्ब न हो और इस काम को युद्ध स्तर पर किया जाय।

इस नदी में पानी बहुत है और वहां जमीन भी बहुत है। वहां सिंचाई होने से बहुत गन्ने का उत्पादन होगा और इस प्रकार रास्ट के विकास उत्तर प्रदेश के विकास और खाद्य समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलेगी।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं सिंचाई मंत्री, उप सिंचाई मंत्री, कैशरनाथ सिंह, और मंत्रालय के अधिकारियों को इस बारे में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और जन का अभिनन्दन करता हूँ।

श्री माधू राम अहिरवार (टीरुमनकुर)। अध्यक्ष महोदय, मैं बेता नदी बोट विवेक का हृदय से समर्थन करता हूँ। हम देखते आ रहे हैं कि इन्ने विशाल क्षेत्र में खेती १५० फुट है, नदी में पानी बह रहा है, लेकिन किसान सूखे मर रहे हैं। इसलिए या तो वे दिहली की तरफ मजदूरी के लिए भागते हैं, या दूसरे क्षेत्रों में फसल काट कर मजदूरी जाने के लिए जाते हैं। सिंचाई न होने और भयंकर गरीबी होने के कारण यह क्षेत्र पिछले बीस पच्चीस सालों से बाकूपा से घृणित रहा है। वहाँ ज्यादा गरीबी होने और लोगों के पास कोई छद्म न होने के कारण उस क्षेत्र में बाकू बनते रहे और लोग मरते रहे।

सरकार ने यह कार्य कर के वहाँ की जनता को आशीर्वाद दिया है और जनता के लिए यह एक बड़ा शुभ अवसर है। मैं केन्द्रीय सरकार को इस लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस ने पहली बार हस्तक्षेप कर के दोनों प्रदेशों की जनता के हित में यह अच्छा कदम उठाया है।

हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर बिजनेस भी बांध बने, उन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश हमेशा घाटे में रहा। जब रिहंद बांध बना, तो यह एग्रीमेंट हुआ कि 15 परसेंट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी लेकिन आप ताजुब करेंगे कि पहली पंच-वर्षीय योजना में बने हुए उस बांध से मध्य प्रदेश को एक यूनिट बिजली भी नहीं मिलती है। जब माता-

टीला बांध बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के 22 गांव डूब गये। उन गांवों के लोगों को वहाँ से हटाया गया, उन के मकान बर्बाद हुए और उन की खेती भी नहीं मिली। यह तय हुआ था कि उन गांव से जेनरेट होने वाली बिजली का 33 परसेंट मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश को बिजली बिजली नहीं दी गई है। यह एक बहुत अफसोस की बात रही है। अब केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप कर के दोनों सरकारों में समझौता करा दिया है। यह बड़े संतोष की बात है कि दोनों सरकारों के आपस के मतभेद दूर हो गये और इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए स योजना को प्रारम्भ करना संभव हो गया है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि राजघाट से कुछ दूर, जहाँ स समय बांध बनाने आ रहे हैं, पंचमहल एक गांव है, जिस के पास नदी के दोनों तरफ पक्की पहाड़ी है और एक प्राकृतिक बांध बना हुआ है। वहाँ का सर्वेक्षण हो चुका है और 'जीनि-यर्स' ने रिपोर्ट दी है कि अगर यह बांध वहाँ पर बनाया जाता, तो गवर्नमेंट को छः करोड़ रुपये का फायदा होता। जो आप मिट्टी का दस किलोमीटर लम्बा बांध बनाने आ रहे हैं वह नहीं बनाना पड़ेगा और उस में 6 करोड़ रुपये जो खपने वाले हैं वह बच जाएंगे। उस से कैनाल बनाने में और दूम्मे कामों में मदद मिल जायेगी तो अभी तो केवल मकान और बंगले ही बने हैं, नाम तो अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी आप उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट मंगा लें और मागे कागजात मंगा कर देख लें। अगर उस को करने में आप को सुविधा हो तो वह

[श्री नाथूराम बाहिरवार:]

क्यों करें। मुझे जो जानकारी मिली है वह मैं आप के सामने रख रहा हूँ।

इस विधेयक में जो आप ने कंट्रोल बोर्ड का गठन किया है उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसमें एक धारा 31 है जिसमें यह लिखा है कि अगर कोई अधिकारी इन गुड फेथ कोई गलती करता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अगर गुड फेथ की कोई परिभाषा तो हमें बालूब नहीं है। इंजीनियर लोग जो काम करते हैं उस में गड़बड़ी कुछ न कुछ तो होती ही है। अगर यदि सारे का सारा गड़बड़ हो जाय तब तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन एक तत्त्वज्ञानी हमें है कि स बोर्ड के अध्यक्ष हमारे केन्द्र के सिचाई मंत्रो होंगे और इस में दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री होंगे, साथ ही बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी इस में होंगे, तो गलती कम होने की गुंजाइश है और जो गलती होगी उसे गुड फेथ हम मान सकते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे बांध का फैसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि बाणसागर योजना केवल बिहार सरकार के हामी न भरने की वजह से खटाई में पड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों राखी है लेकिन बिहार सरकार हामी नहीं भर रही है और वह कहते हैं कि हम एपीमेंट नहीं करते हैं इसलिए थह खटाई में पड़ी है, जब कि उनका इस से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। वह नहीं जिस पर बांध बनना है उसका पानी तो दूसरी तरफ जाना है।

लेकिन उन की हव में बूझी चीज नहीं बहती है इसलिए वह उस पर जोर लगाते हैं। इसी हमारी विचार प्रणाली में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बात का एलान किया है।... (अध्यक्ष) आप अपने मुख्य मंत्री से कहिए कि वह हाँ कहें तो योजना चालू हो जायगी।

यह जो विधेयक पेश हुआ है उस से इस देश की जनता को काफी लाभ होने वाला है। इससे शिवपुरी और टीकमगढ़ जिले के बहुत बड़े हिस्से को काफी लाभ पहुंचने वाला है। इसके अलावा झांसी जिले और गुना के इलाके को लाभ पहुंचने वाला है। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि उन में कृषि नहीं खोदा जा सकता है क्योंकि पूरी जमीन में पत्थर हैं और यहां नदियों में पानी है जिस से सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है।

माताटीला से आगे बेतवा नदी पर जो पारीछा बांध बना हुआ है उस से जो पानी जाता है वह पानी मध्य प्रदेश को बिल्कुल नहीं मिलता। उस का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हुआ है। जमीन सारी मध्य प्रदेश की दूबी है। गुरसराय, कैनाल मध्य प्रदेश के गांवों से हो कर गई है उस के दोनों तरफ खेत सूख रहे हैं और उस का पानी आगे जा कर उत्तर प्रदेश के गांवों को मिलता है। इस तरह का बंटवारा अच्छा नहीं है। एक ही प्रदेश के दोनों भाग हैं और नदी मध्य प्रदेश से बह कर गई है, कैनाल वहां से बह कर जाती है लेकिन पानी नहीं मिलता है। सरकार को इस बात के ऊपर फिर से सोचना चाहिए।

अभी बेतवा नदी पर एक रोड का पुल बना था। वह पुल 1965 में बन कर तैयार हो गया था। उस पर 31 लाख

रुपया . जगा . था । और उस में केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तीनों का पैसा लगा है । जब राज बहादुर जी यातायात मंत्री थे तो यह तय हुआ था और उन्होंने एलान किया था कि इस पुल पर टोल टैक्स लगाया जायगा और जितना इस पर खर्च हुआ है वह जब बसूल हो जायगा तो टोल टैक्स की बसूली बन्द कर दी जायगी। मैं ने हिसाब लगाया है , अब तक करीब 45 लाख रुपया बसूल हो चुका है और वह सारे का सारा पैसा न केन्द्र को मिला, न मध्य प्रदेश को मिला, भले उत्तर प्रदेश को मिला है । नियम यह बना था कि केवल एक तरफ से 5 रुपए 62 पैसे जो बस जाएंगी उस को बैना पड़ेगा लेकिन उस से दोनों तरफ से लेते थे और अब पहली फरवरी से 20 रुपया प्रति बस प्रति ट्रिप कर दिया है । इस तरह से दोनों तरफ से 40 रुपया हो गया है और इस से करोड़ों रुपये बसूल हो जाएंगे । मेरा यह कहना है कि जितनी लागत है उतना बसूल कर लिया तो अब टोल टैक्स बन्द कर देना चाहिए । जैसे और सरकारो ने कम किया है, मध्य प्रदेश ने कम किया है तो उनको भी करना चाहिए । जो यात्री बस में बैठ कर जाते हैं वे गरीब लोग हैं और बस वाले का तो कोई नुकसान नहीं है वह यात्रियों से बसूल कर लेगा, हमका नुकसान तो यात्रियों को उठाना पड़ रहा है । मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार तक इस खबर को पहुंचा दें और यह मामला हल हो जाय तो बहुत अच्छा है । उस से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के रहने वालों का फायदा है ।

यह जो बांध बन रहा है इस में इंजीनियरों ने जो मेहनत की है उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं । सब से बड़े बधाई के पात्र हमारे कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने देश के तमाम अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने का प्रयास किया और उस में मकाना भी प्राप्त की ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करना हूँ ।

श्री शिवनाथ सिंह ( मुमुनू ): अध्यक्ष जी, बेतवा नदी के पानी का सदुपयोग हो, जिन राज्यों में से उस नदी का प्रवाह है उन राज्य सरकारों के आपसी झगड़े सामने न आयें, राष्ट्र के हित में काम हो—इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बिल यहां पर लाया गया है । इस सदन में काफी समय से मांग हो रही थी की पानी पर केन्द्र का नियंत्रण हो । पानी या तो हिमालय पर्वत पर बर्फ गलने से नदियों के माध्यम से आता है या फिर बर्फ से आता है । इस विस्तृत देश में किसी एक राज्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह पूरे पानी का सदुपयोग कर मके । नदियां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहती हैं, एक राज्य की सीमा से होकर दूसरे राज्यों की सीमा में बहती हैं । ऐसी स्थिति में होना यह चाहिए कि इस पानी पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण हो ताकि जिन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके और जिन क्षेत्रों में पानी की बहुतायत है वहां पर वह कोई भंडारण या बाधक न बने । इसी उद्देश्य को लेकर यह बिल यहां पर लाया गया है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस और एक अच्छा कदम उठाया है, उन्होंने अपनी सद्भावना का परिचय दिया है । जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं । केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण पानी पर हो, इस सिद्धान्त को इस से माना गया है जिस का स्पष्ट

[श्री सिवनाथ सिंह]

क्लॉज 18 में मिलता है। यदि दोनों राज्यों के बीच कोई झगडा होगा तो उसका केन्द्रीय सरकार के पास रेफर किया जायगा और केन्द्रीय सरकार का फैसला अंतिम होगा। इन झगडों की वजह से अभी तक इस देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय झगडे इसी कारण सुलझ नहीं सके हैं। राजस्थान के कड़ावा बांध की योजना इसलिए रकी रही कि इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि उसकी ऊंचाई पाच फिट कम हो या अधिक हो। इसका नतीजा यह है कि जो योजनाये पहले बांधी कीमत में पूरी हो जाती उन के लिए बाज दुगुनी कीमत लगानी पड रही है।

अध्यक्ष जी, इस सिद्धान्त को इस में माना गया है कि जिन राज्यों से होकर नदी बहती है उन के बोर्ड बनाये जायें लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूखे प्रान्त है उनका भी अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान प्रान्त में एक नदी बहती है, वह पृष्ठा प्रान्त है लेकिन वहा की जमीन अच्छी है और वहा के लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन वहा पर पानी की कमी है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की जो नदिया है उन पर राजस्थान जैसे सूखे राज्य का भी अधिकार होना चाहिए, उनका भी उन नदियों के पानी में हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन नदियों का पानी केवल उन्ही प्रान्तों को मिले जहा से होकर वह नदिया बहती है। यह बात उचित नहीं है और न ही राष्ट्रीय हित में है। आपने जो इस प्रकार से बोर्ड बनाने की व्यवस्था की है, इस मसा को आप धाने बढ़ाये। सूखे प्रान्तों को भी उसगे हिस्सा दें उनका प्रतिनिधित्व

भी उन बोर्डों में होना चाहिए तभी वास्तविक रूप में आप राष्ट्रीय हित की बात कर सकते हैं।

इस बिल में तीन प्राविधान रखे गए हैं— एक बोर्ड बनेगा, एक डीक्पूटिंग कमेटी बनेगी और एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी। इनके क्या फव्वश होंगे, किस प्रकार से कार्य करेगे क्या मफलता मिलेगी, इसका पता तो बाद में ही चल पायगा क्योंकि यह नवी स्कीम बनाई गई है। यह बोर्ड, कमेटीज और कौंसिल जो बनेगी वह ठीक ढंग से काम करेगी लेकिन मुझे एक शक मालूम पडती है। इस बिल की धारा 19 में आपने प्राविधान रखा है, हालांकि वह जरूरी है लेकिन और कही इस प्रकार का प्राविधान नहीं है ऐसी स्थिति में अगर एक प्राविधान एक जगह पर रखें और दूसरी जगह पर न रखें तो लका पडा होना स्वाभाविक है कि यहा पर इसको क्यों रखा गया है। आपने किसी भी मकान में एन्ट्री का प्राविधान रखा है। अभी तक जिनन बांध बने हैं उन के सम्बन्ध में भी सर्वे हुआ होगा। आपने यहा पर स्पेसल प्राविजन रखकर, मैं समझता हूँ अपने अधिकारों को लिमिट किया है, किसी प्रकार से उनका विस्तार नहीं कर रहे हैं। इस लिये यदि इस प्रकार का प्राविधान अन्य प्राविधानों में है तो फिर इस को यहा पर रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा एक जरूरी प्राविधान था, जो हम में नहीं आपन रखा। जो वहा के आउम्प्टीज होंगे उन की जिम्मेदारी किस पर होगी किस प्रकार उनका रीवैटलमेन्ट होगा, किस प्रकार उनका मुधावजा दिया जायगा। जब आप वहा पर बोर्ड बना रहे हैं और उनकी बेख रेख में सारा काम करा रहे हैं, तो उन के उठाने का मुधावजा देने का काम, मकानों का मुधावजा देने का काम इन बोर्ड के जिम्मे होना

चाहिये। यह स्टेट वर्कमेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये। यह प्रावधान मुझे इस में कहीं नजर नहीं आया, मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ा लैंकना है। अगर आपने ऐसा प्रावधान कहीं पर रखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं रखा है तो आप इस वक़्त भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार अपने इस अधिकार को और अधिक बढ़ाये। ताकि जो सूखे प्रान्त हैं, उन को दूसरे प्रान्तों के साथ बोट बनाया जाय ताकि उन सूखे प्रान्तों को भी पानी की सुविधा मिल सके।

श्री एच. एम. बर्बो (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं मंत्री महोदय को धन्दा देना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज बुन्देलखण्ड के बारे में उन्होंने सोचने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, काफ़ी अस से बुन्देलखण्ड से एक ही आवाज उठ रही थी—क्या बुन्देलखण्ड का इलाका हमेशा पिछड़ा रहेगा या उस में कुछ ऐसे साधन मुहिया किये जायेंगे जिससे उसका पिछड़ापन दूर हो सके। आप वहाँ जाइये—मैं लजितपुर या झांसी की बात नहीं कर रहा हूँ वे बड़े क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़े लोग रहने हैं, मैं तो वहाँ के गाँवों की बात कह रहा हूँ, जहाँ गरीबी छाई हुई है, अनकों ऐसे परिवार हैं जिन को दो वक़्त खाना भी नसीब नहीं होता है, इस सदन में जब भी इन बातों को लाने की कोशिश की गई, तो एक ही उम्मीद की लहर नजर आती थी—वह थी—बेतवा नदी। हम हमेशा से यहाँ चाहते थे कि उस पर कोई ऐसा बांध बने जिस से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुँच सके। यह मसला दो राज्य-सरकारों—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश—के बीच में बहुत दिनों तक चल रहा था।

लेकिन मैं नहीं समझता था कि इस तरीके से इतने सुचारु ढंग से यह मसला हल हो जायेगा। अब यह मसला हल हो गया है। मैं समझता हूँ कि माताटीला की बात जो मेरे उधर के मित्र से की है—माताटीला से जितने गाँव उड़के हैं, मैंने खुद वहाँ जा कर देखा है—उन को मुआवजा नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो नहीं के बराबर मिला है। अगर माताटीला बांध से मध्यप्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ है, तो मुझे मालूम है—बुन्देलखण्ड को उस से ज्यादा फायदा कहीं सुखवा और दुखवा बांध से हुआ है, जब कि माताटीला पर करोड़ों रुप खर्च हुए हैं। वहाँ पर जो परवर लगा हुआ है कि उस पर कितना खर्च हुआ है, उसको बार बार पोंछ कर लिखा गया है कि उस पर इतने कराँड़ रुपये खर्च हुआ है और अभी भी मालूम नहीं अन्त तक उस पर कितना खर्च हुआ है। उस से जो फायदा होना था, वह बुन्देलखण्ड को नहीं हुआ।

अब इस बिल के पास होने के बाद जो बोट बनेगा, जिस में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे, मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के जो सदस्यगण हैं, चाहे पार्लियामेंट के मੈम्बर हों या एम०एल०ए० हों, उन को उस में रखा जाय, क्योंकि हमेशा से वे कांशिश करते आये हैं, चाहे झांसी से चुने गये हों या किसी दूसरी जगह से चुने गये हों, कि किसी तरह से बुन्देलखण्ड का पिछड़ापन दूर हो। उस बोट में बजाय इस के कि दोनों मुख्य मंत्री और कुछ अफसरान हों, उस में वहाँ के चुने हुए नमाइन्दों को भी रखने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे, मैं खास तौर से श्री केदार नाथ सिंह जी से कह रहा हूँ, क्योंकि वे

[श्री एस० एम० बनर्जी]

भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। और उत्तर प्रदेश का होने के नाते उन्होंने बुन्देलखण्ड के भ्रमंकर पिछडेयन को देखा होगा। मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि आज इस बिल के पास होने के बाद एक नई आशा की लहर बहा के लोगों में दौड़ेगी और वह सांकेतिक हमारे खेतों को सिंचाई के लिए पानी इससे मिलेगा। अगर बहा का यह पिछड़ापन दूर हो जाय तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर्क भ्राज्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके रेवेन्यू से ही पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, बरना वहाँ एक तरफा बलिया और आबमण्ड जैसे इलाके हैं उन से भी भ्रमंकर पिछड़ापन बुन्देलखण्ड में है। मेरे मित्र से ठीक कहा कि डाकुओं का जन्म कैसे हुआ? आप देखे कि चम्बल की रेबोन्स में डाकुओं का जन्म पदाइश से नहीं हुआ, बल्कि भूख और प्यास ने उनको डाकु बना दिया। और अब भी उस इलाके में डाकुओं का वह डर नहीं रहा क्योंकि मैं खुद ललितपुर गया, शासी से। लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं कुछ लोगों को साथ ले जाइये। मैंने कहा कि मेरे पाम क्या है, बहुत होगा तो घड़ी ले लेंगे, चश्मा तो कोई लेगा नहीं। तो वहाँ पर कोई इस वक्त डर नहीं है। और अगर यह पिछड़ापन दूर हो जाय तो वही डाकु जो आज डाकु कहलाते हैं, शहर व अछूते नागरिक बन जाये। लेकिन उस के बारे में मैं कुछ आश्वासन मंत्री महोदय चाहता हूँ। यह नहीं कहता कि बटवारा हो जाय, मैं इस बात को मानने वाला हूँ कि कोई झगडा नहीं रहना चाहिये, लेकिन कभी ऐसा न हो कि बह पिछड़ा इलाका बुन्देलखण्ड का जिसके आसुओं से बेतवा नदी में पानी है उस पर राजघाट के नाम से जो बांध बनाना है, कहीं ऐसा न हो कि उस का ज्यादा हिस्सा

किसी ऐसे गांव में चला जाय जिसे में पिछड़ापन नहीं चले वह गांव उत्तर प्रदेश का ही और चाहे मध्य प्रदेश का। इसलिये, मंत्री महोदय आश्वासन दें इस का जो फायदा होगा उस से बुन्देलखण्ड की हालत को सुधारा जायगा।

इन शर्तों के साथ मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उन में आपस में मेल मिलाप रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कोई डिसप्यूट होता है तो उसको सेन्टर तक करे। लेकिन डिसप्यूट क्यों हो। आपस में कोई डिसप्यूट नहीं होना चाहिए, और न होगा। अगर यह भावना हो जाय तो जिस पक्क बेतवा जल के लिए लोग परेशान है उस से लोग खुशहाल हो जायेंगे। इसलिये आपस में कोई झगडा नहीं होना चाहिये। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड के और मध्य प्रदेश के पिछडे पन को ध्यान में रखते हुए आपस में तमाम झगडे तय होने चाहिये। जिस सद्भावना में हम इस बिल को यहाँ पाम करना चाहते हैं उसी सद्भावना से आगे भी चले यही मेरी कामना है।

श्री शशिभूषण (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और जैसा माननीय बनर्जी ने कहा है कि बुन्देलखण्ड का जो पिछड़ा इलाका है उसमें कुछ आशा की नई लहर आयेगी, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ। साथ ही मैं बनर्जी साहब की इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि जो बोर्ड बन रहा है तो २० सूत्री प्रोग्राम के आधार पर चुने हुए नुमाइन्दों का कम से कम कुछ तो ध्यान रखना चाहिये। इस दृष्टि से अगर उस

ताक के एम० सी० को भी इस बीड में रखा जाता तो बहुत अच्छा होता। अब भी उन को रखा जा सकता है, इस में कोई हेर नहीं हुई है। तो माननीय बनर्जी साहब की इस सिफारिश का मैं सम्मर्थन करता हूँ।

माननीय बनर्जी साहब ने जो यह बात कही कि गरीबी की वजह से डाकू पैदा होते हैं, मैं इस को नहीं मानता। महलों में जो सामन्तवाद के कीड़े पनप रहे हैं उन की वजह से डाकू पैदा होते हैं जितने भी हथियार डाकूओं को उप इलाके में दिये जाते रहे हैं वह कभी ग्वालियर के महल से मिले, कभी किमी और रजवाड़े से मिले। अगर उस क्षेत्र से सामन्तवाद समाप्त हो जाये तो डाकू आप को उत इलाके में नजर नहीं आयेंगे। बड़ी-बड़ी बिरादरी के लोग अपनी सूझ पर ताव देने के लिये और उन के पीछे चलने वाले जो अपने को मार्गल रेन का कहते हैं, वही लोग इन डाकूओं में हैं। मैं भी उत इलाके का रहने वाला हूँ इसलिए वहाँ की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हूँ। अगर वहाँ डाकू लोग डाका डालने हैं तो जाते बहुत जेबरात वह अपने साथ ले जाते हैं और बरतन हरिजन के घर रख जाते हैं। और वे बेतार में उड़ा कर ले जाते हैं और अगर कहीं पकड़े गये तो मार खाएँ इन तरह से उत इलाके में बहुत पिछड़ान है और मैं यह समझता हूँ कि यह मार्गल और नात-मार्गल रेल की बात खत्म कर दी जाए। हरिजनों को भी फौज में लिया जाए, पुलिस में लिया जाए। वे बड़ादुर हैं, उन को भी तो उतने ही चीड़े हैं जितने कि हमारे गाँवों के और इन्डेलब्रंड के लोग बहुत मजबूत हैं, यह मैं जानता हूँ। अगर ऐसा होगा तो उत इलाके में डाकू नहीं रह सकते लेकिन उन को आत्मा को कर्चोंटा जाता है और उन को पीसा जाता है।

**अध्यक्ष महोदय :** अब बेतवा नदी के पानी के बहवारे पर ध्याएँ।

**श्री शशि भूषण : बेतवा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक मानवता का प्रश्न था और इस को हल किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर सामन्तवाद के खिलाफ बीस सूत्री कार्यक्रम में हम ने पहली बार अपने प्रजातंत्र में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसा हमला किया है वरना दुनिया की डेमोक्रेसी ने सामन्तवाद के साथ समझौता किया हुआ है। मेरा कहना तो यही है कि बेतवा के पानी से डाकू नहीं खत्म होंगे बल्कि सामन्तवाद को खत्म करने से ही वे खत्म होंगे।**

यह खुशी की बात है कि यू० पी० और मध्य प्रदेश में यह समझौता हुआ है वैसे मैं यह जानता हूँ कि यू० पी० और मध्य प्रदेश के लोग पेरोकियल नहीं हैं और वे प्रान्तीयता को मानने वाले नहीं हैं और उन का आपस में झगड़ा नहीं है। मेरा दोनों प्रान्तों से सम्बन्ध रहा है, इसलिए मैं इस के बारे में जानता हूँ लेकिन इस क्षेत्र में और भी बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जैसे कि नर्मदा का प्रोजेक्ट है। उस से राजस्थान तक पानी जाने की सम्भावना है लेकिन वह वर्षों से पड़ा हुआ है और उत को हल करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कमीशन बना दिया जाता है और उत में ग्टायर्ड जन को बीठा दिया जाता है और वह कभी फौजला जल्दी नहीं करता अगर नर्मदा का फौजला कुछ असें पहले होगया होता, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों को शांती कायदा होता, लेकिन वह आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है और लटका हुआ है। मुख्य मंत्रियों की मीटिंगें होती हैं लेकिन मामला तय नहीं हो पाता। इसके लिए पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए और फौजला फौजला होना चाहिए। इस को रिटायर्ड जन नहीं कर सकता है। उनको तो समय पूरा करना होता है। आप ने जो कमीशन को बनाए बोर्ड बनाया है, यह अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छा होता कि इस में आप एम० पी० और उस इलाके

## [ श्री शशि भूषण ]

के लोगों को भी रखते। अगर ऐसा हो तो फैसला जल्दी हो सकता है। बीस-सूत्री कार्यक्रम और खासतौर से इमर्जेंसी में जो ये सब काम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है लेकिन जो पानी के और मसले पड़े हुए हैं उन की तरफ भी सरकार को फौरन ध्यान देना चाहिए। एक शांति-वाक्य भी होनी चाहिए कि नर्मदा के विवाद का फैसला फर्क समय तक हो जाएगा। हुक्म देने में हम बरों कजूमी करते हैं। इमर्जेंसी में हमने देखा है कि हिन्दुस्तान की जनता हुक्म को मानना चाहती है लेकिन हम हुक्म देने में कजूमी करते हैं। इसलिए अगर सरकार जल्दी फैसला देगी तो वे इस को मानेंगे।

एक चीज और कहना चाहता हूँ वैसे वह हम से सम्बन्धित नहीं है। यहाँ पर परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं। नदियों के जरिये से या नहों के जरिये से जो नेविगेशन होती है उन को हम ने हमेशा छोड़ा है। कई पार्लियामेंटरी कमेटीज बनी थीं उन की रिपोर्टें आई लेकिन उन पर हम ने कभी ध्यान नहीं दिया। नेविगेशन में 5 परसेंट डीजन का ग्रुप होता है और उस में सामान आना भी लाया और से जाया जा सकता है। अगर नेविगेशन को बढ़ावा मिलना है तो उस में इलाक़ बने शहर बड़े जैसे कि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट और दूसरे बड़े शहर नदियाँ की बज्र म पड़े हैं। उस तरफ कम ध्यान दिया गया है। शक्ति के साथ रिचार्ज बुटी हुई है ना यह भी उस के साथ आए। नदियाँ का प्रश्न भी उस के साथ जाए या फिर वह भी आप उन का द ब्रीफ़। यह जो प्रलग अलग मामला चल रहा है यह ठीक नहीं है। आप बेतवा का प्लान कर रहे हैं। कल पता लगा कि दूसरी नदियाँ से इस को मिलना है। यह बाध पूराना हो जाएगा। इसलिए पहले ग ही राष्ट्रीय स्तर पर न का सर्वे होना चाहिए कुछ हो चुका है, बहुत दिन पहले हुआ था लेकिन यह काफी नहीं है और इस दिशा में काम होना चाहिए।

इस बिल का मैं समर्थन करना हूँ लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि नर्मदा योजना का फैसला बहुत जल्दी होना चाहिए। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। उन का फैसला जल्दी होने से और बाध बने में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सकेगा और सामन्तवाद का ख़तरा हो जाएगा।

न शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

12 55 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

श्री मूल बन्द झापा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोर्ड बनाने की भावना है वह ठीक है। लेकिन आप मेहरबानी करके कानून को पूरा पढ़ लीजिए बीस साल तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अभी शशिभूषण जी कह रहे थे कि कमीशन हो तो समय निर्धारित हो जाए। उसमें तो कुछ नहीं है। आप इस बिल की सारी सेवक पढ़ लीजिए। हमने लिखा है कि बोर्ड रूम फ्रेंच करेगा। राई को गठ पात्र नहीं है। यह तो गान्धिवन का बमर्रा तरीका है कि जानन बन गया। बर्ड कैप रूम फ्रेंच करेगा कैसे करेगा, यह रहेगा यह पता चला प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि मिश्रर ---

Subject to the rules, the Board may appoint such officers and employees as it may deem necessary for the efficient discharge of its functions.

फिर उनके बाद क्या है --

The Board shall, as far as practicable utilise the services of the officers and employees offered by the Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in such a manner that equal representation is given to the two States

The terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be such as may be determined by regulations."

बोर्ड क्या करेगा ? बोर्ड सरविस्त्र के रूलन बनावेगा या रेगुलेशन बनावेगा, क्या करेगा ?

समें आपने यह भी कहा है कि वह सरविस्त्र अवकायर करेगा । इसका हममें प्रोबिजो है । ये जो कानून बनते हैं उनका कुछ मकसद होता है । इस कानून का मकसद क्या है, आप इस कानून के आधार पर जो काम करने जा रहे हैं, वह इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है । कौन-सी तारीख से बोर्ड काम करेगा यह कुछ साफ नहीं होगा । मंत्री जो ने इसके सारे सेक्शन तो जरूर पढ़ी होगी । सेक्शन 2 को आप देखें । इसमें लिखा है—

"The Board may, with the previous approval of the Central Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules for enabling it to discharge its functions under this Act"

क्या आपने इसके लिए बोर्ड को कोई गाइड-लाइन दे दी है या नहीं ? ऐसे कानून बनाने का क्या फायदा ? बोर्ड जब रेगुलेशन बनावेगा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट तो एडवाइ देनी पड़ेगी । यह एडवाइ आप फिर वक्त देते ?

हर मेक्शन में एफ वान है कि बोर्ड जो कानून बनावेगा उसमें नीक रखने के काम को इम्प्लोमेंट करने के लिये भी नियम बनावेगा और सारे के सारे कानून बनाने में वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा । इसमें रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा, इजोनियर्स कौन से होंगे ?

मध्य प्रदेश के इजोनियर्स लगाये जायेंगे या उत्तर प्रदेश के लगाये जायेंगे । मकाउडेंट उत्तर प्रदेश का होगा या मध्य प्रदेश का होगा ? इस बारे में हममें कुछ नहीं है ।

13 01 hrs.

मेरे बिना हमें इस बोर्ड के जो काम करने का तरीका होगा वह लम्बा होगा । हममें आप कहीं पर भी बना दीजिए कि यह हो कि बोर्ड इस प्रकार काम करेगा और इस प्रकार काम करावेगा । काम करने के लिये कौन जिम्मेदार होगा ? बोर्ड क्या करेगा यह स्पष्ट नहीं है ।

"Subject to the rules, the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

You say 'one or more', for what purpose? What will be the object of the Advisory Committee? कानून क्या बनना है भगवान जानें । कितनी होगी, किम उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी, कुछ पता नहीं ।

Coming to Clause 9, it says

"Subject to the rules " Who will frame these rules? It goes on to say.

" the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

एडवाइ करने कमिटीज की जा राय होगी, वह बाइंडिंग होगी या नहीं ? बोर्ड क्या काम करेगा ? क्लॉज 9(1) में किस प्रकार में प्राफिसर्स मुकर्रर किए जाएंगे, कोई रायना नहीं बनाया गया है ।

[श्री मूल बन्द डामा]

Clause 11(iii) says:

"that the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh shall extend full cooperation to the Board and shall in particular make available to the Board the land and electric power required by it for construction purposes as expeditiously as possible."

यह क्या रुन है ? जिस तरह से यह होगा । किन शर्तों पर भ्रम्य करेंगे । इस कानून को बनाने में सभी सहोदय का क्या उद्देश्य है पता नहीं चलता है । सिचाई का बांध बन जाएगा और कासी में विचित्र डो डायगो लेकिन कितने वर्ष लगे ? क्या इस पर उन्होंने अपना विभाग भिडाय है ?

What is the power of the Board?

"Without prejudice to the generality of the foregoing revision, such power shall include the powers—

(a) to acquire, hold and dispose of such properties.. "

अगर लैंड अक्वायर करना है तो

I say that it should be acquired under the Land Acquisition Act, क्या उसके लिए भ्रम्य रुन बनेंगे ?

What does clause 17 says? It says

"In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions and instructions on questions of policy as may be given in it by the Central Government".

य क्या डापरेक्शन होंगे ? बोर्ड बन्ने के पहले डापरेक्शन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please We are discussing, I think, the first stage—the principle—and we do discuss the clauses at this stage; we discuss them at the next stage You can speak on clauses at that stage.

SHRI M. C. DAGA: All right, Sir. I am telling you as to how the Board will function.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are clause by clause as if you are discussing every clause.

श्री मूल बन्द डामा मैं यह कहना चाहता हूँ कि बोर्ड फंक्शन कैसे कर सकेगा, उसको क्या पावर है, बोर्ड कब तक काम पूरा कर लेगा, कैसे कर लेगा, कुछ पता नहीं । जो धांधली इच्छा है वह इस बिल से पूरी नहीं होगी । इससे समय की भी र पैस की बरबादी होगी ।

श्री केदार नाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उनको मैं सब से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ । हमारे सभी मित्रों ने इस बिल का हृदय से स्वागत किया है । कुछ शांति भरे कुछ मित्रों के व्यक्त की है । मैं कोशिश करूँगा कि उन शंकाओं का समाधान कर सकूँ । मनुकर जी ने इस बिल पर बोले हुए कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं । उन्होंने कहा है कि पाना के बारे में हमारे राष्ट्रीय नीति क्या है । उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के उत्तरी भागों में जहाँ बाढ़ों के कारण मरुत आता है वहाँ बाँधों में भरा हुआ मरुत उठाए है । हालाँकि वे इस बिल का बाहर है ।

जैसा कि आप को पता है, नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है । एक बहुत बड़ा-सावर्ड डे रेगुलेशन वहाँ गया था, और कुछ समस्याएँ पर इन्वेस्टीगेशन करना तय हो गया था । राप्ता, बाबरा और शारदा नदियों पर कुछ ही बाँधों बनने के बारे में काम शुरू हो गया है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि नदियों के जल के बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करना चाहिए । इस विषय में सरकार की तरफ से

कमर्सी इतिहास को रूढ़ि है। लेकिन चूंकि इस बारे में वास्तव में राज्य सरकार ने गप बेली है, इसलिए उन को मंजूरि भी मंजूरि है। मैं वास्तविक सचवाचों से यह प्रश्न पूछना कि वह राज्य सरकार ने पर क्या बर्तन कि हमारे प्रभाव को स्वीकार करें।

श्री अहिरवार ने कहा कि जहां इन वक्त बांध बत रहा है, वह मुनासिब जगह नहीं है, बल्कि धगर इससे तीन बार किलोमीटर ऊपर बांध बनता, तो हाथ व कुछ से का फायदा हो जाता। मैं समझता हूं कि हमारे इंजिनियरों साधियों, दोनों राज्यों के इंजीनियरों और ब्रिडज वाटर एंजिनिअर कमिशन, ने इस पर काफी चर्चा किया, इन्फेक्शनियस किया, और वह जगह मुनासिब नहीं पाई गई। इसलिए बेतक नती पर जहां व वक्त बांध बन रहा है, वही मुनासिब जगह पाई गई है।

इस बोर्ड की स्थापना क्यों हो रही है? इस देश में यह पहला बोर्ड बनने जा रहा है। इस के कुछ कारण हैं। स बांध का ज्यादातर हिस्सा मिट्टी का होगा और बोड़ा सा हिस्सा मैसवड़ी का होगा। इस का बाधा भाग मध्य प्रदेश में है और बाधा भाग उत्तर प्रदेश में है। इस लिए धगर उन प्रदेशों की सरकारें अलग अलग बनाती, तो सम्भव था कि यह बांध न बन पाता। इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता हुई। यह बोर्ड एक हाई-पावर्ड बोर्ड है, जिस की अध्यक्षता एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मिनिस्टर करेंगे। उस में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री होंगे। इस हाई-पावर्ड बोर्ड के सामने ये सब मसले आयेंगे कि पानी का उपयोग कैसे हो।

श्री ठापा ने कई आपत्तियां की हैं। उन की राय है कि शायद यह बोर्ड नहीं चल पायेगा मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यह बोर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस के बांध में नोटेबैस के लिए है, और वह अपने क्लर बनायेगा, 122 LS-6

और उन क्लर के मुनासिब एग्जाम्पली कमेटीज बनेंगी। चूंकि यह बोर्ड एक इंजीनियरिंग बोर्ड नहीं है, इसलिए उस को इंजीनियरिंग राय और मंजूरि देना पड़ेगा। अपने इंजीनियरिंग नो-हाउ से कैसे सहायक लें, इसके लिए एग्जाम्पली कमेटी बनानी पड़ेगी। एक, दो या तीन, जितनी भी जरूरी होवे, उतनी कमेटीया बनेंगी, लेकिन ती या पचास की संख्या में न कभी कमेटीया बनी हैं और न बनाने की आवश्यकता महसूस होगी।

श्री शक्ति भूषण ने इस बिल का स्वागत किया है और उन्होंने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की है। श्री जनार्दन के कहना है कि एग्जाम्पली कमेटी में उ। इलाके के लोक सभा के सदस्य भी रहें। तो यह सवाल आयेगा कि विधान सभा और जिला परिषदों के सदस्य भी कहेंगे कि उन को भी रखा जाये।

श्री कल्याण मिश्र 'अधुकर' जो लोग विस्थापित हैं, उन के रिहैबिलिटेशन के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? बांध पर काम करने वाले मजदूरों की जो समस्याएं आ होंगी, उन का समाधान कैसे हो सकेगा?

श्री जोरार नाथ सिंह : मैं समझता हूं कि जो मुख्य मंत्री हमारे हैं दोनों प्रदेशों के वह जनता के ही नेता हैं और उन के वहाँ जहाँ से सारे मसले हल हो जायेंगे।

उन्होंने जो रिहैबिलिटेशन का सवाल उठाया वह भी इसी बोर्ड के सामने जायेगा और बोर्ड तय करेगा कि कितना मुआवजा दिया जायेगा, कहा बसाया जायेगा। सारे मसले उस के सामने आयेंगे। वह इतना बड़ा औरत होना कि कोई भी मसला आयेगा तो उस के सामने रखा जायेगा, वह तय करेगा

: [श्री केदार नाथ सिंह]

श्रीर अवर वह बोर्ड नहीं तय कर पाएंगे तो आखीर में वह कन्द्रीय सरकार के समक्षे जायेगा और केन्द्रीय सरकार का फैसला अन्तिम होगा, दोनों सरकारों के लिए वह मान्य होगा ।

मारे दोस्तों ने जो इन बिल का समर्थन किया है उस के लिए मैं उन को हृदय से धन्यवाद देना हूँ और आशा करता हूँ कि वह इस के प्लीमेटेशन में भी हमारे साथ सहयोग करेंगे ।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाणा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । मंत्री महोदय ने बताया कि जल को देश को सम्पत्ति बनाने के लिए स्टैट गर्बनमेंट्स से आपा-पूछ रहे हैं । मैं आप से यह जानना चाहता हूँ कि ये सारी बातें पिछले तीन सालों से चल रही हैं, स्टैट गर्बनमेंट वाले अगर इस का विरोध करते हैं..... (व्यवधान) .....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is outside the scope of this Bill. He just referred to it by the way. It is not part of the Bill. Because some members had raised that point, we just referred to it.

SHRI SHIVNATH SINGH: This is the principle involved in the Bill.

SHRI NATWARLAL PATEL: This is a matter of co-operation among State Governments. Let us know which are the State Governments which are not co-operating. This matter has been going on for the last three years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a much bigger question. But if he wants to answer, he may.

SHRI KEDAR NATH SINGH: Although, as you have observed, it is not part of the Bill, as I have already mentioned, State Governments are be-

ing consulted on this issue. Ultimately we come to Parliament to take its sanction. Then we will have to go to the State Governments to take their agreement. Suppose they decide not to agree, then we shall be in difficulty. We are considering all this and we are taking necessary steps and we hope State Governments will also take the same view.

SHRI NATWARLAL PATEL: The question is very simple.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is enough. The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

*The Motion was adopted.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause by clause consideration. The question is:

"That clauses 2 to 24, the Schedule and clause 1 stand part of the Bill."

*The Motion was adopted.*

Clauses 2 to 24, the schedule and clause 1 were added to the Bill.

*Enacting Formula*

*Amendment Made:*

Page 1, line 1,—for "Twenty-sixth" substitute "Twenty-seventh". (1)

(Shri Kedar Nath Singh)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

*The Motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Title was added to the Bill*

SHRI KEDAR NATH SINGH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

MR DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That the Bill, as amended, be passed"

*The Motion was adopted*

13.15 hrs.

# INDIAN STANDARDS INSTITUTION (CERTIFICATION MARKS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF INDUSTRY AND  
CIVIL SUPPLIES (SHRI B P  
MAURYA) Sir, I beg to move

That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The ISI (Certification Marks) Amendment Bill, 1976 was considered and passed by the Rajya Sabha on the 10th March 1976. The Committee on Subordinate Legislation, while scrutinising the Indian Standards Institution (Certification Marks) Amendment Regulations 1968 noticed that though the regulations provide for the levy of fees for the grant or renewal of any licence which have the effect of imposing a financial burden, they are not required to be laid before both Houses of Parliament and hence they recommended that the regulations should be so laid. This Bill, therefore amends the ISI (Certification Marks) Act to achieve this object.

In amending the Act for this purpose, sub-section (4) of Section 20 of the Act has been deleted, and a new section 22 has been inserted. The new section 22 clearly provides for the

laying of the rules and regulation framed under the Act to be laid on the Tables of the two Houses of Parliament.

Secondly, clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been deleted and the words, "and may also provide for the levy of fees for the grant or renewal of any licence" have been added at the end of sub-section (2) of section 21. This has been done to empower expressly the Indian Standards Institution to make regulations for the levy of fees for the grant or renewal of any licence under the ISI (Certification Marks) Act, 1952. This amendment does not involve any new provision in the Act. The provision already existing against clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been omitted and it has been added at the end of sub-section (2) of section 21. Sir, I beg to move that the Bill be taken up for consideration.

MR DEPUTY-SPEAKER This is only to enjoin that regulations should be laid on the Table of the House. What are you going to say? I thought you should welcome a measure of this kind.

Motion moved

"That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

DR SARADISH ROY (Bolpur) I have a few observations to make. This Bill has been introduced in accordance with the recommendations of the Subordinate Legislation Committee of this House. In a report of the Fourth Lok Sabha presented on 16th December, 1970 to this House the Committee says

The ISI is not precluded from making regulations for prescribing fees, such regulations are not in consonance with the spirit and scheme of section 21 of the principal Act. Even otherwise, the Committee feels, that fees for grant of licences